वाद सं - 134.

श की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई टिप्प आदेश
14/10/2020	अभिलेख उपस्थापित, मूल पंजी II/जमाबंदी पंजी एवं खतियान का अवलोकन किया गया। इस अवैध/संदिग्ध जमाबंदी के संबंध मे भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4h के तहत पूर्व से वाद सं0 366 के अन्तर्गत कार्यवाही संचालित है। चुंकि एक ही मामले मे दो अलग-अलग वाद के तहत सुनवाई नही की जा सकती है। इस कारण अंचल निरीक्षक एवं राजस्व उपनिरीक्षक से प्राप्त अनुशंसा एवं दस्तावेजो के अवलोकन के आधार पर इस वाद की कार्यवाही बंद की जाती है। 14/10/2020 अंचल अधिकारी तोरपा।	

जमाबंदी वाद सं0 :– 134 ~~366~~

प्रश्नगत भूमि मौजा .....पन्दपुर..... खाता सं0 .....55/63..... प्लॉट सं0 .....226.....

रकबा .....5.658..... से संबंधित है। यह भूमि आर0एस0 खतियान में गैरमजरूआ खास भूमि तथा पंजी II के पृष्ठ सं0 .....49..... भोल्युम सं0 .....I..... में रैयत .....फेकु मांझी..... के नाम पर दर्ज पाया गया।

उक्त जमाबंदी के विरूद्ध वाद सं0 .....366. ~~366~~..... के अन्तर्गत 4h की सुनवाई चल रही है। चूंकि एक ही मामले पर दो अलग–अलग वाद के तहत सुनवाई उचित नहीं है। अतः इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।

राजस्व कर्मचारी   अंचल निरीक्षक